



## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org phone No. 0291-2612084/2612085-7 fax 0291-2612085

क्रमांक: एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2020/8010

दिनांक- 26/02/2020

### कार्यवाही विवरण:-

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 01/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा	जोन	विषय	निर्णय
1.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा सं. 1031/740 के भूखण्ड संख्या सी/1 के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड क्षेत्रफल 135.53 वर्गगज (113.31 वर्गमीटर) पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।  श्री मोहम्मद शरीफ पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन, श्री जाकीर हुसैन पुत्र श्री मोहम्मद हुसैन  भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. वास्तुविद् द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत कर दिया गया है। 2. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 3. मौके पर भवन बिना सेटबैक छोड़कर निर्मित है। अतः अनुमोदित योग्य नहीं है।  समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को पत्र द्वारा सेटबैक क्षेत्र में हुए निर्माण को हटाये जाने के उपरान्त कार्यालय में सूचित किये जाने तथा तदनुसार नवीन मौका रिपोर्ट ली जाकर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2.	दक्षिण	राजस्व ग्राम बासनी चौहाना के खसरा सं. 12/1, 12/2 के व्यवसायिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 699.66 वर्गगज (585.21 वर्गमीटर) पर भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।  श्री जैताराम, जालाराम, सोहनीदेवी व बाबूदेवी  भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रकरण को भवन मानचित्र समिति की बैठक दिनांक 29.11.2019 में विचारार्थ रखा गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में मास्टर प्लान के 200 फीट सड़क मार्गाधिकार के सम्बन्ध में परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया था। 2. वरिष्ठ प्रारूपकार की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2023 अनुसार 200' आरक्षित हैं। 3. नगर सुधार न्यास द्वारा जारी पट्टा विलेख दिनांक 06.08.18 में भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 160' अंकित हैं। 4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 8.7(अ) अनुसार "पूर्व में आवंटित पट्टेसुदा भूमि में से अग्र सेटबैक भूमि समर्पण पश्चात् समर्पित भूमि की चौड़ाई के बराबर कम माना जायेगा ताकि भवन रेखा पूर्वानुसार अर्थात् यथावत रहे। 5. सड़क मार्गाधिकार 200' रखते हुए एवं प्रस्तावित पार्किंग नियमानुसार नहीं होने के कारण संशोधित

21

			<p>मानचित्र अपेक्षित हैं।</p> <p>6. प्रस्तावित मेकेनिकल वेंटीलेशन हेतु शपथ-पत्र अपेक्षित हैं।</p> <p>7. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में 200 फीट सड़क मार्गाधिकार रखे जाने के उपरांत दोनों तरफ जक्शन से जक्शन तक की भवन रेखा बाबत् कनिष्ठ अभियंता से विस्तृत मौका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।</p>
<b>ऑनलाईन प्रकरण</b>			
1.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा सं. 82 के आवासीय प्रयोजनार्थ 'वंसन्त एन्कलेव' आवासीय योजना में भूखण्ड सं 04, क्षेत्रफल 436.28 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री गौतम चंद मालू पुत्र श्री गुलाब चंद मालू</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1757</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वी बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
2.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा सं. 82 के आवासीय प्रयोजनार्थ 'वंसन्त एन्कलेव' आवासीय योजना में भूखण्ड सं 05, क्षेत्रफल 314.13 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री गौतम चंद मालू पुत्र श्री गुलाब चंद मालू</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1780</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वी बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र में पट्टा विलेख के साईट प्लान से कम सैटबैक प्रस्तावित किये है संशोधित मानचित्र अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>

2

3	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के विवेक विहार योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं डी-916, क्षेत्रफल 418.06 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री मुकेश ईनाणिया पुत्र श्री रामदेव ईनाणिया</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1688</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
4	पश्चिम	<p>राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा सं. 97 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं 74, क्षेत्रफल 278.69 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती पुष्पादेवी पत्नी श्री अमरचन्द्र व श्री लतादेवी पत्नी श्री हुकमीचन्द्र</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1280</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
5	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी/सागरिया के विवेक विहार योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं डी-670, क्षेत्रफल 256.41 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री योगेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र</p>

05

		<p>मोतीराम चौधरी व अन्य</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1973</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
6.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 447/1 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं 339, क्षेत्रफल 250.92 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री ब्रह्मानन्द शर्मा पुत्र श्री जगदीष प्रसाद शर्मा</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/365</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
7.	पूर्व	<p>राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा सं. 23 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं 01, क्षेत्रफल 188.129 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री दाउलाल पुत्र श्री रावतराम व अन्य</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1741</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>

001

8	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी/सांगरिया के विवेक विहार योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं ई-349 क्षेत्रफल 260.12 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री घेवरचंद पुत्र श्री भोजराज</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2120</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
9	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 775/3 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं 13/ए क्षेत्रफल 250.83 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्रीमती कामिनि चौधरी पत्नी श्री नेकीराम चौधरी व श्री नेकीराम चौधरी पुत्र श्री राम मेहर चौधरी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1169</p> <p>भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
10	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी/सांगरिया के विवेक विहार योजना के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं जी-196, क्षेत्रफल 418.05 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- श्री अनीता बंसल पत्नी श्री राधेश्याम बंसल</p> <p>Online Application ID.</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित बेसमेंट हेतु भू-जल विभाग से अनापत्ति एवं क्षतिपूर्ति बंधपत्र अपेक्षित है।</li> <li>2. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी</p>

		JOD/2019-20/BPAS/1756 भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020	स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
11.	दक्षिण	राजस्व ग्राम जोधपुर के हनवंत नगर-बी.जे.एस खसरा सं. 131 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड सं 190, क्षेत्रफल 250.83 वर्गमीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।  आवेदक:- श्रीमती ममता अग्रवाल पत्नी श्री तख्तसिंह राठौड  Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1156  भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।  समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
12.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 708/100 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या ए-53, ए-54 व ए-55 क्षेत्रफल 490.02 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।  आवेदक:- श्री अजित सिंह सांखला पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह सांखला  Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/2207  भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 2. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।  समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दुओं की पूर्ति करते हुए एवम् संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
13.	दक्षिण	राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-2/54, V-2/56, V-2/58, V-2/60, V-2/81, V-2/83 & V-2/85 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 149.60 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन	प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :- 1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है। 2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है। 3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।

6

		<p>बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1866, 1857, 1863, 1928, 1929, 1860, 1865</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
14.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-3/87, V-3/89, V-3/91, V-3-95, V-3/97, V-3/99, V-3/101, V-3/103, V-3/107, V-3/109, V-3/111, V-3/113, V-3/115, V-3/119, V-3/121, V-3/123, V-3/125, V-3/127, V-3/129, V-3/131, V-3/135, V-3/137, V-3/139, V-3/140, V-3/141, V-3/143, V-3/145, V-3/147 &amp; V-3/149 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 125.73 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1900, 1940, 1941, 1933, 1876, 1879, 1877, 1880, 1942, 1882, 1883, 1897, 1939, 1898, 1896, 1874, 1858, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1893, 1892, 1895</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>

03

15.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/1 क्षेत्रफल 213.40 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1827</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
16.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/21, V-1/41 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 213.40 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1830, 1832</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
17.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/20 क्षेत्रफल 213.40 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना</li> </ol>

081



		<p>अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1837</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रस्तावित है।</p> <p>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
18	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/40 क्षेत्रफल 213.40 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1835</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
19.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-2/55, V-2/57, V-2/59, V-2/80, V-2/82, V-2/84 &amp; V-2/86 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 149.60 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1828, 1833, 1844, 1822, 1846, 1841, 1836</p> <p>भवन मानचित्र समिति</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र</p>

		(बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020	अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।
20	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/23, V-1/25, V-1/27, V-1/29, V-1/31, V-1/33, V-1/35, V-1/37, V-1/39, V-1/43, V-1/45, V-1/47, V-1/49, V-1/51 &amp; V-1/53 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1798, 1800, 1802, 1804, 1806, 1808, 1809, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> <li>6. अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बैटरगेट लेवी ली जानी है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
21.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/3, V-1/5, V-1/7, V-1/9, V-1/11, V-1/13, V-1/15, V-1/17 &amp; V-1/19 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 184.30 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1796, 1797, 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1810 &amp; 1811</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> <li>6. अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बैटरगेट लेवी ली जानी है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>

		06.02.2020	
22.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/2, V-1/4, V-1/6, V-1/8, V-1/10, V-1/12, V-1/14, V-1/16 &amp; V-1/18 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 184.30 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1853, 1851, 1855, 1930, 1845, 1872, 1824, 1869 &amp; 1829</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वी बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> <li>6. अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बैटरमेट लेवी ली जानी है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
23.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-1/22, V-1/24, V-1/26, V-1/28, V-1/30, V-1/32, V-1/34, V-1/36, V-1/38, V-1/42, V-1/44, V-1/46, V-1/48, V-1/50, V-1/52 &amp; V-1/54 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 184.3 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1831, 1834, 1838, 1840, 1842, 1847, 1849, 1859, 1861, 1862, 1864, 1925, 1926, 1931, 1932, &amp; 1933</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वी बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> <li>6. अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बैटरमेट लेवी ली जानी है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>

24.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-2/53 क्षेत्रफल 176 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1821</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, व 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
25.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-2/87 क्षेत्रफल 176 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/1823</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, व 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
26.	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-3/86, V-3/88, V-3/90, V-3/92, V-3/96, V-3/98, V-3/100, V-3/102, V-3/106, V-3/108, V-3/110, V-3/112, V-3/114, V-3/116, V-3/120, V-3/122, V-3/124, V-3/126, V-3/128,</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना</li> </ol>

	<p>V-3/130, V-3/134, V-3/136, V-3/138, V-3/140, V-3/142, V-3/144, V-3/146, V-3/148, V-3/150 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 125.73 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1899, 1900, 1901, 1904, 1909, 1910, 1902, 1935, 1906, 1905, 1854, 1934, 1936, 1923, 1919, 1922, 1356, 1918, 1917, 1920, 1915, 1916, 1914, 1913, 1927, 1937, 1911, 1908, 1907</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रस्तावित है।</p> <p>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</p> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, व 4 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
27	<p>दक्षिण राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-3/133, V-3/105 &amp; V-3/85 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 150.48 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1848, 1850, 1852</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के सम्मेलन विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> <li>6. अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बैटरमेंट लेवी ली जानी है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्नक 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>

581

28	दक्षिण	<p>राजस्व ग्राम पाल के खसरा सं. 126 के आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या V-3/132, V-3/104 प्रत्येक भूखण्ड का क्षेत्रफल 150.48 वर्गमीटर का भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।</p> <p>आवेदक:- आसान रियलिटी प्रा.लि जोधपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधी-श्री अनिल सिंघवी</p> <p>Online Application ID. JOD/2019-20/BPAS/ 1819, 1820</p> <p>भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 1/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020</p>	<p>प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति को अवगत करवाया गया कि :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित भवन की निर्माण लागत का 1 प्रतिशत श्रम उपकर प्रार्थी द्वारा श्रम विभाग में जमा करवायी जानी अपेक्षित है।</li> <li>2. मानचित्र में दर्शित स्टोर का क्षेत्रफल नियमानुसार कम प्रस्तावित है। अतः संशोधन अपेक्षित है।</li> <li>3. ऑनलाईन पीडीएफ में मानचित्र सही नहीं है। अतः ऑफलाईन स्वीकृति जारी की जानी अपेक्षित है।</li> <li>4. प्रस्तुत मानचित्र को मेट्रिक यूनिट में लिया जाना प्रस्तावित है।</li> <li>5. प्रस्तुत मानचित्र में दर्शित शाफ्ट व पास में स्थित भूखण्ड की शाफ्ट को मिलाये जाने पर नियमानुसार शाफ्ट का साईज प्राप्त होता है।</li> <li>6. अतिरिक्त बी.ए.आर हेतु बैटरमेट लेवी ली जानी है।</li> </ol> <p>समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् प्रकरण में उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति प्रार्थी से कराते हुए बिन्दु संख्या 3 व 5 को स्वीकृत कर संलग्न 'अ' में उल्लेखित बिन्दुओं की पालना प्रार्थी स्तर पर सुनिश्चित करने की शर्त पर भवन- मानचित्र अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।</p>
----	--------	---	--

वर्तमान में कार्यालय में प्राप्त ऑनलाईन भवन मानचित्र हेतु BPAS software में आयोजना शाखा के कनिष्ठ लिपिक को verifying officer हेतु map कर रखा है तथा आयोजना शाखा द्वारा भवन मानचित्र अनुमोदन से पूर्व आवश्यक रिपोर्ट यथा स्वामित्व, बकाया लीज राशि, अवाप्ति आदि ऑफलाईन माध्यम से प्राप्त की जा रही है जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण में verifying officer हेतु संबंधित जोन डी.सी को map कर रखा है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण की तर्ज पर BPAS software में आवश्यक संशोधन किये जाने बाबत संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी.पारीक)

निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव  
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: एफ37(3)/नि.आ./बीपीसी(बी.पी.)/का.वि./2020/8011-8015 दिनांक:- 26/02/2020

प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

**परिशिष्ट-“1”**

भवन मानचित्र समिति (विल्डिंग प्लान) की 01/2020 वीं बैठक दिनांक 06.02.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

1. श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर।	अध्यक्ष
2. श्री हरभान मीणा, सचिव/आयुक्त, जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
3. श्री लाडूराम विश्वा, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
4. श्री अनिल कुमार पुनिया उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
5. श्री श्रवण सिंह उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
6. श्रीमती पुष्पा हरवानी उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
7. श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य
8. श्री ओ.पी. पारीक, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर।	सदस्य सचिव

निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बीपी)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (बी.पी) की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित किये जाते हैं :-

1. भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि, लीजडीड में उल्लेखित अवधि या सात वर्ष जो भी कम हो, देय होगी। एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.1 के अनुसार अनुज्ञा प्राप्ति के दो वर्ष में भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा तथा धारा 15 की अन्य शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
2. भवन निर्माण स्वीकृती मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो यह स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत मानचित्र मास्टर प्लान/जानल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा को रद्द करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हक नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें आयुक्त/उपायुक्त सम्बन्धित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं संबंधित उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करनी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम की अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जोधपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी अथवा संबंधित अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
8. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
9. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
10. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
11. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गयी स्वीकृती स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृती प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
12. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
13. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण व्यौरा सहित जो पठनीय हो, का ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की और) लगाया

051



- जावें जिसमें सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
14. भवन निर्माण के समय निर्माण सागरी से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जायें।
  15. अनुमोदित भवन मानचित्रों से अतिरिक्त निर्माण किसी भी सूरत में नहीं किया जायेगा। यदि प्रार्थी द्वारा बिना स्वीकृति निर्माण किया जाता है, तो उसे ध्वस्त करने का अधिकार जोधपुर विकास प्राधिकरण को होगा।
  16. एकीकृत भवन विनियम, 2017 की धारा 18.4 के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा एवं विवादित भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिये संबंधित निकाय जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रशंगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है अथवा अनुज्ञेय है यही दर्शाता है।
  17. ऊपरोक्त वर्णित शर्तों एवं एकीकृत भवन विनियम, 2017 अनुसार अन्य सभी सम्बन्धित शर्तों का पालन किया जाना होगा, उक्त की पालना नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।



निदेशक जायोजना

एवं सदस्य सचिव

भवन निर्माण अनुमोदन समिति (बी.पी.)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर